राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1684/2010

अरूण प्रकाश गोयल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कमिश्नर (ईजीएस), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस (जिला कलेक्टर), चित्तोड़गढ।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तोड़गढ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगरार जिला चित्तोड़गढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित,

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण पुराना है। अतः पत्रावली पर उपस्थित एप्लिकेशन एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने नोटिस दिनांक 07.07.2010 जारी किया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि नरेगा योजना की जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने के कारण वसूली योग्य राशि 1328142/–रूपये मानी गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी जो तत्समय कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत था, उससे 1328142/–रूपये वसूली के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी से वसूली के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत सोनियाना के वर्ष 2009 से 2010 के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन और वास्तविक मूल्यांकन संबंधित जांच की सम्पुर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति मे ही सम्पन्न हुई है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन कि नैचूरल जस्टिस का वायलेसन किया गया जो पुर्णतया गलत और कपोलकल्पित है। कानून किसी भी कार्मिक को पदीय अनियमितता और पदीय दुरूपयोग की इजाजत नही देता है। अपीलार्थी ने पदीय दुरुपयोग कर राज्य के राजकोष को वित्तिय क्षति

पहुंचाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो की घोर अवहेलना कर अनियमितताएं कारित किये जाने के कारण विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित वसुली के संबंध मे दिनांक 07.07.2010 को वसुली नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस बिना किसी दुर्भावना और दबाव के पारित किया गया है, जो पुर्णतया विधिक होने से तथा अपीलार्थी की उक्त अपील सारहीन तथ्यो पर आधारित और पोषणनीय नही होने से मय कोस्ट मय स्थगन आदेश के काबिल निरस्त योग्य है, जिसे निरस्त फरमाने का हुक्म प्रदान करावे।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थायन राज्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।

7. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी इस अपील में यह अभिकथन किया हैं कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को उसकी जांच के संबंध में पारित रिपोर्ट का कारण तथा नोटिस प्रदान नहीं किया गया, न ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

8. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।

9. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)